

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला निर्वाचन शाखा)

**आदेश**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-111-105(0001)/2014-26/आ0 दिनांक: 15.05.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 0001- लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 13 01 कार्यालय व्यय इकाई मद में मो0 40,00,000.00 (चालीस लाख) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए जिसे निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व में उपावंटित कार्यालय व्यय 13 01	वर्तमान में प्राप्त हुए आवंटन से उपावंटित कार्यालय व्यय 13 01	कुल उपावंटित कार्यालय व्यय 13 01
1	2	3	4	5
1	जिला सुरक्षित	83,00,000.00	0.00	83,00,000.00
2	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	40,00,000.00	40,00,000.00	80,00,000.00
<b>योग:-</b>		<b>1,23,00,000.00</b>	<b>40,00,000.00</b>	<b>1,63,00,000.00</b>

2. आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 0001- लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 13 01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001050001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998, पत्रांक: ब-17/बी0 एस0जी0-07/2014-253/वि0 दिनांक: 11.03.2014 एवं पत्रांक: एम-4-21/2012(खंड)-2890/वि0 दिनांक: 26.03.2014 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. यह राशि वित्तीय वर्ष, 2014-15 में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0-4513 दिनांक: 12.05.2014 एवं स्वीकृत्यादेश सं0- 4520 दिनांक: 13.05.2014 के आलोक में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आवंटित है। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।  
9. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: ...../नि0, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।


ज्ञापांक: ...../नि0, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, -सह-सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 26/आ0 दिनांक 15.05.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 1476 ...../नि0, दिनांक: 22/5/14.....

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।